खंड 1 संख्या 119

राष्ट्र महिला

जून 2009

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

उच्चतम न्यायालय एक बार फिर उन असहाय महिलाओं के बचाव के लिए आगे आया है जो बहुधा बदनीयत लोगों की दुर्भावना का शिकार बन जाती हैं। हाल ही में दिए गये एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दहेज निषेध अधिनियम तथा उत्पीड़न विरोधी सभी कानून ऐसे पुरुष पर लागू होंगे जो भले ही कानूनी तौर पर किसी महिला से विवाहित हो या नहीं, किन्तु किसी महिला के साथ रह रहा है, उस पर पति जैसा स्वामित्व और उसके साथ यौन संबंध रखता है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिनियम का लक्ष्य उत्पीड़न से ऐसी महिला की रक्षा करना है जो किसी व्यक्ति से वैवाहिक रिश्ता बनाती है और बाद में पैसे के उसके लालच का शिकार बन जाती है। क्या किसी ऐसे व्यक्ति को पर्दे की आड़ लेने की इजाज़त दी जा सकती है जो विवाह जैसी व्यवस्था कायम करता है और बाद में तर्क देता है कि चूंकि कोई कानूनी विवाह नहीं हुआ था इसलिए दहेज का प्रश्न नहीं उठता? न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार के कानूनी दांवपेचों से अधिनियम के प्रावधानों का सारा महत्व ही समाप्त हो जाता है।

इस प्रकार, उच्चतम न्यायाल ने न केवल शब्द 'पति' की पुनर्परिभाषा की है अपितु दहेज निषेध अधिनियम का दायरा अविवाहित जोड़ों तक बढ़ा दिया है। आगे, उसने यह भी स्पष्ट किया है कि 'पति' की परिभाषा में विशिष्ट रूप से ऐसे व्यक्ति का शामिल न किया जाना जिसने पाखंडी तरीके से विवाह किया और मैथुनिक संबंध कायम किए, इस बात का आधार नहीं बनता कि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख (दहेज मृत्यु) या 498क (उत्पीड़न) की जद से बाहर रखा जाये।

चर्चा में

अविवाहित जोड़ों पर दहेज निषेध अधिनियम का प्रवर्तन

न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में जो नागरिक अधिकारों अथवा संपत्ति के अधिकार से संबंधित हों, निश्चय ही 'पति' एवं 'पत्नी' की यथार्थ तकनीकी तथा कानूनी व्याख्या की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु जब किसी सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रश्न आता हो और अधिनियम की उदार व्याख्या से दहेज निषेध का उद्देश्य विफल हो जाता हो, तो 'उदारवादी रवैया' अपनाना मुनासिब होगा।

उच्चतम न्यायालय के इस प्रगतिशील निर्णय की प्रशंसा की जानी चाहिए जिससे उन महिलाओं के बढ़ते हुए उत्पीड़न के मामलों पर रोक लगेगी जो अविवाहित दाम्पत्य रिश्तों में रह रही हैं। इस बात की बड़ी आवश्यकता थी कि दहेज जैसी बुराइयों को रोकने के लिए कानूनों की व्याख्या कुछ वास्तविकता लिए हुए की जाये।

आशा की जाती है कि इस निर्णय से उन लोगों पर अंकुश लगेगा जो महिलाओं को दहेज के लिए तंग और उत्पीड़ित करते हैं और फिर इस आधार पर दंड से बचने का प्रयास करते हैं कि महिला से उनका कानूनी विवाह नहीं हुआ था।

महिलाओं के विरुद्ध मामलों को निबटाने के लिए त्वरित न्यायालय

राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश स्वीकार करते हुए, केन्द्र सरकार ने महिलाओं संबंधित फौजदारी के मामलों को त्वरित न्यायालयों को सौंपने का निर्णय किया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, तेजाब प्रहार और छेड़छाड़ के मामलों पर त्वरित न्यायालयों में मुकदमे चलाए जायेंगे ताकि एक निश्चित समयावधि के अंदर पीड़ित को न्याय मिल सके।

दहेज तथा बच्चे की हिरासत संबंधी मामलों के लिए सरकार 200 परिवार न्यायालय और स्थापित करेगी। महिलाओं के लिए त्वरित न्यायालयों की स्थापना की मांग राष्ट्रीय महिला आयोग एक लम्बे अरसे से करता चला आ रहा है क्योंकि मुकदमा वर्षों तक चलता रहता है और इस दौरान पीड़ित महिला को बहुत से मामलों में धमकियां मिलती हैं और मामला लंबित होने के दौरान आपराधिक साक्ष्य समाप्त हो जाता है। विधि आयोग ने भी अपनी 221वीं रिपोर्ट में त्वरित न्याय की सिफारिश की थी।

सम्पत्ति पर पत्नी का कानूनन सह-स्वामित्व होगा

महिलाओं के सशक्तिकरण को एक कदम आगे ले जाते हुए, महाराष्ट्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि महत्वपूर्ण 7/12 दस्तावेज में, जो एक सम्पत्ति कार्ड माना जाता है, पत्नी का नाम भी शामिल किया जाये। जिन लोगों का नाम 7/12 दस्तावेज में हैं, वे सम्पत्ति के मालिक माने जाते हैं।

इससे पूर्व, प्रावधान यह था कि पति की मर्जी पर पत्नी को सह-स्वामित्व का दर्जा प्रदान किया जायेगा। अब सरकार इस प्रावधान को हटा कर, 7/12 दस्तावेज में पत्नी का नाम शामिल किया जाना कानूनन अनिवार्य करना चाहती है।

यह करने के लिए, उत्तराधिकार अधिकारों से संबंधित कानून में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। यदि सरकार इस प्रकार का संशोधन कर देती है, तो पत्नी को सम्पत्ति के सौदों में बराबर का हक मिल जायेगा।

शिक्षा संस्थाओं में कामुक फक्ती करना अपराध होगा

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने संबंधी प्रस्तावित विधेयक में सरकार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भी शामिल किए जाने पर विचार कर रही है।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दिए गये सुझावों के आधार पर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने विधि मंत्रालय से अनुरोध किया है कि प्रस्तावित विधेयक में एक और खंड जोड़ कर ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट विद्यार्थियों तथा शोध-कर्ताओं को भी इस कानून के दायरे में लाया जाए।

प्रस्तावित 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण) विधेयक' के अंतर्गत इस समय केवल सरकारी, निजी एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं आती हैं। अब यह भारत में विदेशी छात्राओं तथा अल्प समुदाय संस्थाओं पर भी लागू होगा।

दुल्हनों को जलाने वाले लोगों को फांसी दी जानी चाहिए : उच्चतम न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने दुल्हनों को जलाए जाने के कृत्य को बर्बर और असभ्य करार देते हुए कहा कि ऐसा कृत्य करने वालों को फांसी दी जानी चाहिए। हरियाणा में भिवानी के एक व्यक्ति की जमानत की अर्जी की सुनवाई करते समय न्यायालय ने यह टिप्पणी की। किन्तु आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि वह राहत के लिए मुकदमा न्यायालय जा सकता है।

वैश्विक मंदी का प्रभाव महिलाओं पर अधिक पड़ेगा

- पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक संख्या में रोजगार खोयेंगी।
- आधी से अधिक कार्यरत महिलाएं कम वेतन पर अनौपचारिक और शोषणप्राय काम करने पर मजबूर होंगी।
- घर के कामों में कमी हुए बिना उन्हें अधिक समय बाहर काम करना होगा।
- कार्यस्थल पर तथा घर पर समानता संबंधी प्राप्त हुए लाभों को झटका मिलेगा।
- सम्पत्ति तथा साधनों पर महिलाओं के नियंत्रण में कमी आयेगी।
- लेटिन अमेरिका तथा केरीबियन में महिलाओं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। पूर्वी एशिया, विकसित देशों तथा दक्षिण-पूर्वी यूरोप में सबसे कम प्रभाव पड़ेगा।

महिला आरक्षण विधेयक में विलम्ब होने की संभावना

लगातार विलम्बित होता रहा महिला आरक्षण विधेयक संसद के बजट सत्र में पेश नहीं किया जा सकेगा क्योंकि एक नयी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करेगी।

पहली आवश्यकता यह है कि राज्य सभा में पेश हो चुके इस विधेयक की समीक्षा करने के लिए बनाई गयी समिति को अविलम्ब पुनर्गठित किया जाये। उक्त समिति पूर्व लोक सभा के भंग हो जाने के साथ समाप्त हो गयी थी, इसलिए इसका पुनर्गठन किया जाना आवश्यक हो गया है।

पुनर्गठित समिति को इस मुद्दे पर विचार करके अपनी रिपोर्ट नई सरकार के काम संभालने के 100 दिन के अंदर देनी होगी।

वर्तमान सरकार ने वादा किया था कि वह 100 दिन के अंदर इस विधेयक को संसद में पारित कराने की दिशा में कदम उठाएगी। समिति की मुख्य सचिवों के साथ भी चर्चा हो चुकी है।

क्या आप जानते हैं?

विश्व भर में बहुत कम महिलाएं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच पाती हैं और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। 1500 कम्पनियों के एक सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में 5 प्रतिशत महिलाएं कम्पनियों के बोर्डों में डायरेक्टरों के पदों पर हैं। इसके अतिरिक्त, इन कम्पनियों में से केवल 26 प्रतिशत में ही महिला डायरेक्टर हैं।

शिने आहूजा का मामला

डॉ. गिरिजा व्यास की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला आयोग का एक दल शिने आहूजा मामले का जायजा लेने और पीड़िता से बात करने मुम्बई गया। आहूजा को अपनी नौकरानी का बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

आयोग द्वारा बुलाए गये एक प्रेस सम्मेलन में, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, डॉ. व्यास ने कहा कि उन्होंने डॉक्टरी रिपोर्ट देखी है जिससे बलात्कार की पुष्टि होती है। उन्होंने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत, एक मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान भी दर्ज कर लिया गया है और वह जांच-पड़ताल से संतुष्ट हैं और न्यायपालिका में पूरा विश्वास रखती हैं। उन्होंने आहूजा की पत्नी से भी बात की जिसने आहूजा को निर्दोष बताया और कहा कि नौकरानी की पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए।

डॉ. व्यास ने यह भी कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने एवं घरेलू नोकरानियों की संरक्षा के लिए अधिक कठोर कानून बनाए जाने के पक्ष में दबाव बढ़ाने के लिए वह इस मामले को कसौटी बनायेंगी।

मुख्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की मांग के अनुसार वह ऐसे मामलों को जल्द निबटाए जाने के लिए एक त्वरित न्यायालय स्थापित करेंगे और पीड़िता को वित्तीय तथा अन्य सहायता प्राप्त करायेंगे ताकि वह नये सिरे से अपना जीवन प्रारंभ कर सकें।

डॉ. गिरिजा व्यास, महेश भट्ट और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री प्रेस सम्मेलन के बाद बाहर जाते हुए।

कामकाजी महिलाओं के हथियार

1. बातचीत की दीवार खड़ी कीजिए और सीधा आंखों में देखिए। यदि छेड़छाड़ करने वालों को विश्वास हो जाये कि महिला मुकाबला करने में डरने वाली नहीं हैं, तो ऐसे अधिकतर लोग महिला को छोड़ कर चले जायेंगे।
2. अपनी सुरक्षा के साधनों की जानकारी रखिए - कोई छलिया हथियार सदा अपने पास रखिए, चाहे यह मिर्च का स्प्रे हो, हवाई पिस्तौल हो अथवा हवामार दुर्गंधक हो।
3. अपने आस-पास की स्थिति के बारे में सतर्क रहिए और बाहर निकलने से पूर्व कोई योजना अपने पास रखिए।
4. कोई 'सुरक्षा साथी' नियुक्त कीजिए जो आपका मोबाइल कॉल सदा लेने को तत्पर रहे, भले ही वह कहीं रहता/रहती हो या उस समय कहीं भी हो। एक सुरक्षा कोड बनाइए जिससे कि आपका साथी जान सके कि आप परेशानी में हैं।
5. किसी कैब या ऑटो में सफर करते समय, अपने लोगों से बात करने का बहाना कीजिए जिसमें बताइए कि उस समय आप किस स्थान पर हैं।
6. काम पर सुरक्षा के लिए, जब आपको किन्हीं बैठकों के लिए बाहर जाना पड़े तो अपने साथियों को अपने स्थान से अवगत रखिए।
7. अकेली रहने वाली महिलाओं को चाहिए कि सामने का दरवाज़ा, कब्जे, खिड़कियां आदि मजबूत हों और आवश्यक होने पर सुरक्षा युक्तिओं को बदल दीजिए।
8. किसी नये स्थान की यात्रा करने से पूर्व, उस क्षेत्र का रोड मैप अपने पास रखिए और निकलने के उन रास्तों से अवगत होइए जिनका प्रयोग आपातस्थिति में किया जा सकता है।
9. सड़क हादसे से निबटने के लिए, जब अकेले हों तो अफसोस जाहिर करने में संकोच मत कीजिए।

(स्टेट्समेन के सौजन्य से)

महत्वपूर्ण निर्णय

● केवल महिलाओं का जेल, महिलाओं द्वारा संचालित

राष्ट्रीय महिला आयोग के इस निदेश का संज्ञान लेते हुए कि सब राज्यों में कम से कम ऐ जेल केवल महिलाओं के लिए हो जिससे कि उन्हें बेहतर सुरक्षा और निजित्व प्राप्त हो सके, कर्नाटक सरकार ने निर्णय लिया है कि तुमकुर के वर्तमान जेल को सर्व-महिला जेल में परिवर्तित कर दिया जायेगा ताकि महिला सजायाफ्ता एवं विचाराधीन बंदियों के साथ प्रतिष्ठा का व्यवहार हो और मिले-जुले जेलों की तरह उन्हें तंग न किया जाये और उनका शोषण न हो।

जेल प्राधिकारियों ने राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग से इस ऐतिहासिक जेल का पुनरुद्धार करने को कहा है जिसके बाद राज्य के 100 जेलों और उप-जेलों से 100 महिला बंदियों को यहां लाया जायेगा।

इस पुनरुद्धारित जेल में ज्यादा जगह वाले कमरे होंगे, मनोरंजन स्थल होंगे, एक अस्पताल होगा, एक क्रेच होगा जिसमें बंदी महिलाओं के 60 बच्चों तक का प्रबंध होगा और इन महिलाओं की शिक्षा जारी रखने के लिए कक्षाएं होंगी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूरे राज्य में इस समय विभिन्न जेलों में 180 महिला सजायाफ्ताएं हैं और 200 विचाराधीन महिलाएं हैं।

● विगत अपराधों से लड़ने के लिए महिलाएं वर्तमान कानून का उपयोग कर सकती हैं

शहर के एक न्यायालय ने निर्णय दिया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के लागू होने से पूर्व जिन महिलाओं के प्रति उनके पतियों ने हिंसा की थी वे इस अधिनियम के अंतर्गत उन पतियों पर मुकदमा दायर कर सकती हैं। यह अधिनियम अक्टूबर 2006 में लागू हुआ था।

● बलात्कार के आरोपी पर कार्यवाही करने के लिए पीड़ित महिला का साक्ष्य पर्याप्त

दिल्ली के एक न्यायालय ने निर्णय दिया है कि शपथ पर दिए गये पीड़िता के बयान के आधार पर बलात्कार के आरोपी को सज़ा दी जा सकती है, भले ही इस बयान के समर्थन में कोई स्वतंत्र साक्षी न हो।

न्यायालय ने कहा कि यदि पीड़िता के बयान से विश्वास झलकता हो और वह स्वाभाविक दिखाई दे तो उसके साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दंडित किया जा सकता है।

यह बात न्यायालय ने एक 19-वर्षीय बिजली के मिस्त्री संदीप कुमार को 7 वर्ष की सज़ा सुनाते हुए कही। वह बिजली की एक खराबी ठीक करने के बहाने घर में घुसा और महिला का बलात्कार किया। घर में अनधिकृत प्रवेश के लिए उस पर 5000 रुपये का जुर्माना भी किया गया।

गर्भवती महिला को रेलगाड़ी से बाहर फेंका

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी जिले में रेलवे पुलिस के दो सिपाहियों द्वारा चलती गाड़ी से एक गर्भवती महिला तथा उसकी तीन वर्षीय लड़की को बाहर फेंकने के कथित जघन्य अपराध का नोट लेते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से इस घटना की रिपोर्ट मांगेंगी और पीड़िता को मुआवजा देने को कहेंगी जिसकी तुरंत मृत्यु हो गयी जबकि बच्ची का इलाज चल रहा है।

साहस की प्रतीक

चेन्नई से पश्चिम में 430 किलोमीटर दूर अरगलूर गांव की एक 15-वर्षीय लड़की भुवनेश्वरी अपने विवाह से एक दिन पहले अपने घर से भाग गयी और 80 किलोमीटर का सफर तय करके सेलम शहर में जिला कलेक्टर के कार्यालय में जाकर शिकायत लिखाई।

उसने कहा कि उसके माता-पिता उसके विरोध के बावजूद उसका विवाह एक 35-वर्षीय पुरुष के साथ करना चाहते हैं। कलेक्टर ने यह मामला पुलिस सुपरिनटेडेंट को सौंप दिया।

इस लड़की ने हाल ही में नवीं कक्षा की परीक्षा पास की थी। उसने पुलिस को बताया कि वह आगे पढ़ाई जारी रखना चाहती है और उसका सपना भारतीय पुलिस सेवा में आना है।

पुलिस सुपरिनटेंडेंट ने परिवार को चेतावनी दी कि यदि उन्होंने विवाह के अपने प्रयत्न को आगे बढ़ाया तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। पिता ने कहा कि उसे मालूम नहीं था कि बाल विवाह गैर-कानूनी है और दंडनीय अपराध है। परस्पर बातचीत के बाद यह तय हुआ कि दूल्हे का विवाह भुवनेश्वरी की 20-वर्षीय चचेरी बहन के साथ होगा।

भुवनेश्वरी के पिता ने कहा कि वह जो कुछ करना चाहेगी उसमें वह उसकी सहायता करेगा।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन
आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।